ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी-परिपत्र संख्या-41/2019

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस भवन, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः सितम्बर 25, 2019

विषयः- दोषसिद्ध अभियुक्तों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट के निष्पादन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रायः देखा जा रहा है कि दोषसिद्ध अभियुक्तों के विरूद्ध जनपदों के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से जो गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत किये जाते हैं उनका तामीला कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु जनपद स्तर पर कोई गम्भीर प्रयास नही किये जा रहे हैं। मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना को मा0 न्यायालय द्वारा अत्यन्त गम्भीरता से लिया जा रहा है। इस प्रकार के प्रकरणों में मा0 न्यायालय द्वारा जनपदीय पुलिस अधीक्षकों का एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश भी दिये गये हैं।

आप सहमत होंगें कि इससे न केवल वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाता है साथ ही पुलिस विभाग की छवि को भी प्रभावित करता है। गैर जमानतीय वारण्टों के तामीला के सम्बन्ध में पूर्व में भी मुख्यालय स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों पर निर्गत गैर जमानतीय वारण्टों के तामीला तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निम्नानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेः-

- मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्टों का तामीला कर दोषसिद्ध एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर पर टीम के गठन का औपचारिक आदेश निर्गत किया जाये तथा टीम लीडर को यह दायित्व दिया जाये कि वह अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु किये गये प्रयासों को तिथिवार लेखबद्ध करे तथा नियमानुसार रोजनामचाआम में अंकित कराये।
- जनपद स्तर पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित प्रकरणों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की समीक्षा हेतु जनपद के एक राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाये तथा नामित अधिकारी को यह दायित्व सौपा जाये कि वह अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा करते हुए किये गये प्रयासों का तिथिवार अंकन कराये और सम्बन्धित टीम लीडर को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करें।
- यदि किसी प्रकरण में लुकआउट सर्कुलर, रेड कार्नर नोटिस अथवा प्रत्यर्पण की आवश्यकता हो तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस मुख्यालय को संदर्भित किया जाये।
- जनपदों में मॉनिटरिंग सेल की मासिक बैटक में विभिन्न न्यायालय से निर्गत होने वाले समस्त गैर जमानतीय वारण्टों के तामीला से सम्बन्धित प्रकरणों पर विचार विमर्श करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस सम्बन्ध में परिपत्र निर्गत कर आप सभी को पूर्व में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

Scanned by CamScanner

मै अपेक्षा करता हूँ कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट के तामीला के सम्बन्ध में उपरोक्त निदेशों का भली-भाँति अध्ययन कर कार्यशालायें आयोजित करायें और यह भी सुनिश्चित करायें कि जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी इस परिपत्र से पूर्णतः अवगत हों। इस परिपत्र में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः गम्भीरता से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें, ताकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 न्यायालयों के समक्ष किसी प्रकार की असहज स्थिति का सामना न करना पड़े।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. श्री विमल कुमार श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता , मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।

Scanned by CamScanner